निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कॉलेजों के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कॉलेजों के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका

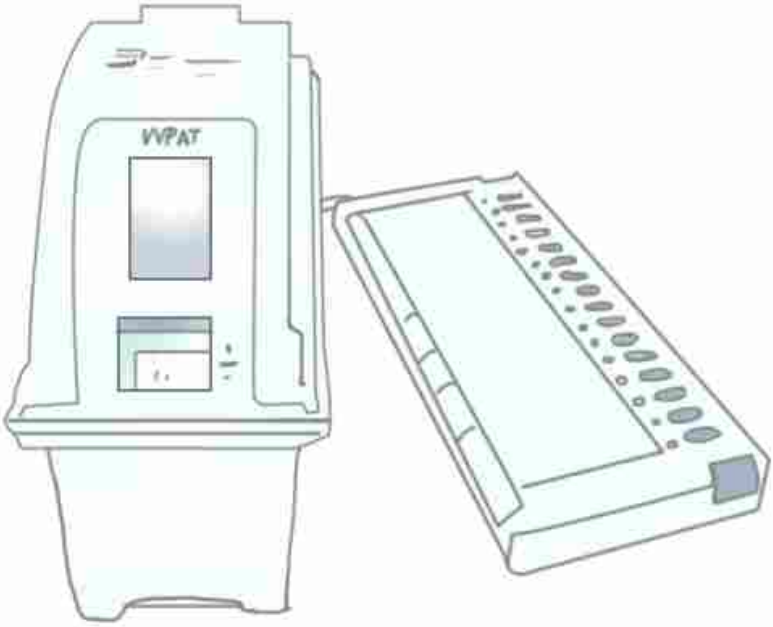

Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019

Text, Photographs and Illustrations
Copyright © Election Commission of India

विषय सूची

1. परिचय----------05
2. उद्देश्य ----------05
3. सदस्य----------06
4. स्वरूप----------06
5. नोडल अधिकारी एवं मार्गदर्शी----------06
6. कार्यकारिणी समिति----------07
7. संयोजक----------08
8. कार्यकाल ----------09
9. आयोजन–स्थल ----------09
10. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्रा----------09
11. गतिविधियाँ----------09
12. सोशल मीडिया की उपस्थिति एवं उसका विस्तार----------10
13. आवश्यक नियम ----------10
14. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश----------11
15. निर्देश सहित गतिविधियाँ ----------12
    - I. चुनाव पत्रिका ----------13
    - ii. कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा----------06
    - iii. युवा मतदाता महोत्सव----------18
    - iv. विशेष अभियान----------21
    - v. वाद–विवाद / व्याख्यान प्रतियोगिता ----------22
    - vi. राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह ----------23
    - vii. प्रेरक संवाद----------24
    - viii. कॉलेज की पत्रिका में फीचर----------25
    - ix. सोशल मीडिया पर आधारित गतिविधि---------- 25
16. गतिविधियों की प्रस्तावित सूची---------- 26
17. संसाधन----------27

Happy International Women's Day
DEMOCRACY WALL
A QUITTER, BE A VOTER

कोई मतदाता न छूटे

1. निर्वाचन साक्षरता क्लब – परिचय

हमारे में निर्वाचन साक्षरता बढ़ावा देने के लिए देश में निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाए जा रहे हैं। ये क्लब हर उम्र के भारतीय नागरिकों को निर्वाचन साक्षरता देने का काम करेंगे। यह निर्वाचन साक्षरता रोचक व मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से दी जाएगी। साक्षरता देने का तरीका ऐसा होगा कि लोग व्यावहारिक रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें। यह सब काम तटस्थ रहकर और बिना किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए किया जाएगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब विशेष रूप से देश भर के कॉलेजों में बनाए जा रहे हैं। कॉलेजों में बनाए जाने वाले ये क्लब उन नए मतदाताओं (18 से 21 वर्ष के युवा) को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं।

सभी सेमेस्टरों में पढ़ने वाले विद्यार्थी क्लब के सदस्य होंगे। नीचे के खण्डों में विस्तार से बताया गया है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब कैसे बनाए जाएँगे, इनके प्रतिभागी कौन होंगे, संयोजक कौन होंगे, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, कैसे किए जाएगा और इनमें कौन सी गतिविधियाँ होंगी।

2. उद्देश्य

निर्वाचन साक्षरता क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

I. लक्ष्य–समूह को मतदाता पंजीकरण, चुनाव प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित विषयों की जानकारी देना। यह जानकारी उनको गतिविधियों में भागीदार बनाकर दी जाएगी, ताकि वे खुद अनुभव करके सीख सकें;

ii. ई.वी.एम. और वी.वी.पैट. से परिचय कराना, ई.वी.एम. की मजबूती के बारे में बताना, और यह बताना कि ई.वी.एम. के प्रयोग से चुनाव प्रक्रिया में प्रामाणिकता बनी रहती हैं;

iii. लक्ष्य–समूह की अपने वोट का महत्त्व समझने में सहायता करना और उन्हें अपने मतदान के अधिकार का पूरे विश्वास के साथ, सुखद स्थिति में और नैतिक तरीके से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना;

iv. निर्वाचन साक्षरता को समुदाय तक पहुँचाने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों की क्षमताओं को विकसित करना;

v. ऐसे सदस्यों के लिए, जो मतदाता बनने के लिए पात्र हैं, परन्तु अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं, पंजीकरण की राह सुगम बनाना; और

vi. चुनाव में भागीदारी करने, सोच–समझकर और नैतिकता के साथ अधिक से अधिक मतदान करने तथा **'हर वोट महत्वपूर्ण है'** व **'कोई मतदाता न छूटे'** का सिद्धान्त अपनाने की संस्कृति विकसित करना;

3. सदस्य

क्लब के सदस्य विद्यार्थी होंगे। कोई भी विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अपना पंजीकरण कराकर सदस्य बना सकता/सकती है। पंजीकरण के बाद वह तब तक के लिए सदस्य बन जाएगा/जाएगी, जब तक उसका ग्रेजुएशन का कोर्स पूरी नहीं हो जाता।

4. स्वरूप

निर्वाचन साक्षरता क्लब का नाम कॉलेज/संस्थान के नाम पर रखा जाएगा। इसे नोडल अधिकारी बनाएँगे और वे ही इसका समन्वयन करेंगे। प्रत्येक कॉलेज में एक निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाया जाना प्रस्तावित है। परन्तु, यदि जरूरत हो तो, विश्वविद्यालय के अन्दर ही विभिन्न विभागों/स्कूलों में इसकी शाखाएँ बनाई जा सकती हैं। संस्थान यह तय करेगा कि अपनी सुविधा से किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाना है।

5. नोडल अधिकारी/मार्गदर्शी (मेन्टर)

कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग के एक या दो अध्यापक निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। वे उस क्लब के मार्गदर्शी के रूप में भी काम करेंगे। इस काम के लिए उन अध्यापकों को वरीयता दी जानी चाहिए, जिन्हें चुनावों में दायित्व निभाने का अनुभव हो। उनका मुख्य काम होगा –

i. क्लब के नामांकन को बढ़ाना और उसकी देखरेख करना।

ii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति के चुनाव की देखरेख करना और उसका गठन करना।

iii. जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन साक्षरता क्लब के बीच संसाधनों व सूचनाओं के आदान–प्रदान में समन्वयन करना।

iv. नए संसाधन पैदा करने की कोशिश करना और उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना।

v. कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाए जाने वाले गतिविधियों के वार्षिक कैलेण्डर को बनाने के लिए मार्गदर्शन देना व उसकी देखरेख करना।

नोट– नोडल अधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को चुनावी साक्षरता क्लब के कामों में लगाने के लिए स्वतंत्रा होंगे।

6. कार्यकारिणी समिति

I. क्लब का संचालन एक चुने हुए समूह द्वारा किया जाएगा। यह समूह निर्वाचन साक्षरता क्लब के विद्यार्थी सदस्यों में से ही चुना जाएगा। इसमें हर कक्षा के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे।

II. समिति में केवल वही विद्यार्थी शामिल होंगे, जो मतदाता के रूप में नामांकित हो चुके हैं।

III. राजनीति में सक्रिय कोई भी विद्यार्थी समिति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पर राजनीति से जुड़ाव रखने वाले विद्यार्थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के सामान्य सदस्य के रूप में अपना नामांकन करा सकते हैं।

IV. चुने हुए प्रतिनिधि ही निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति का गठन किया करेंगे।

V. चुने हुए प्रतिनिधि अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

VI. कार्यकारिणी समिति नोडल अधिकारी के निर्देशन में, उनकी सलाह से और उनकी ही देखरेख में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों को आयोजन करेगी।

VII. यह चुनी हुई समिति निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों में निर्वाचन में भागीदारी करने की संस्कृति विकसित करने की कोशिश करेगी। समिति की भूमिका निम्नवत् होगी –

i. क्लब में नामांकन करवाना।

ii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का नियोजन करना और गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना।

iii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के सुविधाजनक संचालन के लिए अतिरिक्त दिशा–निर्देश बनाना।

iv. कैलेण्डर के अनुसार गतिविधियों का संचालन हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख करना।

v. निर्वाचन साक्षरता क्लब के लिए संसाधन पैदा करना।

vi. जो विद्यार्थी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं, उनका नामांकन कराने के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

7. संयोजक

जहाँ कहीं भी कैम्पस दूत (एम्बेसडर) नियुक्त किए गए हैं, वहाँ वे निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजक के रूप में काम करेंगे, और कार्य–सम्पादन में नोडल अधिकारी का सहयोग करेंगे। जहाँ कैम्पस दूत नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहाँ नोडल अधिकारी और कार्यकारिणी समिति इच्छुक विद्यार्थी/विद्यार्थियों को संयोजक के रूप में नामित करेंगे। संयोजक के दायित्व निम्नवत् होंगे–

I. सदस्य विद्यार्थियों को चिह्नित कर उन्हें निर्वाचन साक्षरता क्लब की विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में शामिल करना।

II. कार्यकारिणी समिति और मार्गदर्शी/नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में गतिविधियों का संचालन करना।

III. कोई भी अन्य कार्य, जो कार्यकारिणी समिति और मार्गदर्शी/नोडल अधिकारी द्वारा सौंपे गए हों।

8. कार्यकाल

I. निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति और संयोजक का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। समय की यह गणना उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। कार्यकाल के बारे में अन्तिम निर्णय नोडल अधिकारी का होगा।

II. प्रतिनिधि को निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य के रूप में पंजीकृत होना होगा।

9. आयोजन–स्थल

निर्वाचन साक्षरता क्लब की बैठक कक्षा के बाद किसी कक्ष में की जा सकती है। इसके अलावा, कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान पर भी बैठक आयोजित की जा सकती है। विभिन्न गतिविधियों के अनुसार आयोजन–स्थल बदला भी जा सकता है।

10. चुनावी साक्षरता क्लब के सत्र

सत्र गतिविधियों पर आधारित होंगे। इसके लिए एक शैक्षणिक सत्र में कुल 8 से 10 घंटे का समय निर्धारित होगा। निर्वाचन साक्षरता क्लब कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए होगा।

11. गतिविधियाँ

कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई निर्वाचन साक्षरता मार्गदर्शिका में गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कार्यकारिणी समिति को यह स्वतंत्राता है कि वह गतिविधियों में बदलाव कर सकती है या नई गतिविधियाँ भी बना सकती है। पर ये गतिविधियाँ मतदाता साक्षरता से ही जुड़ी हों। इन गतिविधियों में से चुनाव पत्रिाका की गतिविधि क्लबों द्वारा हर महीने आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम होगा। कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा और विशेष पंजीकरण अभियान वे गतिविधियाँ हैं, जो अनिवार्य रूप से करनी होंगी।

12. सोशल मीडिया की उपस्थिति और विस्तार

I. निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यकारिणी समिति से यह आशा की जाती है कि वे प्रासंगिक विषय सामग्री को (कार्यक्रमों की घोषणाएँ, नवीनतम सूचनाएँ, परिणाम, की गई पहल, सामयिक संदर्भों से जुड़ी घटनाएँ, ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रतियोगिताएँ, पंजीकरण अभियान व अन्य) नियमित रूप से किसी समर्पित फेसबुक पेज पर और ग्रुप में दें, यूट्यूब चैनल (कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण, पहले से रिकॉर्ड की गई विषय. सामग्री और अन्य सम्बन्धित सामग्री) पर दें। इसे नोडल ऑफीसर/मार्गदर्शी (स्थायी) और वर्तमान समिति (1 वर्ष का कार्यकाल) प्रस्तुत करें।

II. इसके साथ–साथ कार्यकारिणी समिति से यह आशा भी की जाती है कि वे प्रासंगिक सामग्री का रखरखाव करेंगे और उसे नियमित रूप से किसी समर्पित पिनटरेस्ट बोर्ड और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालेंगे। किसी भी सामग्री को ऑनलाइन करने से पहले प्रशासकों द्वारा उसकी उपयुक्तता की जाँच कर लेनी चाहिए, साथ ही, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि सामग्री पूरी तरह से तटस्थ हो और विवेकपूर्ण हो।

III. कॉलेज/विश्वविद्यालय के चुनावी साक्षरता क्लब के फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल को भारत निर्वाचन आयोग के फेस बुक पेज और आधिकारिक यूट्यूब चैनल से जोड़ दें।

नोट– कॉलेज और विश्वविद्यालय के निर्वाचन साक्षरता क्लब अपने प्रसार के लिए अन्य ऑनलाइन ओर सोशल मीडिया मंचों से जुड़ने के लिए स्वतंत्रा हैं। नोडल ऑफीसर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो सामग्री ऑनलाइन साझा की जा रही है, वह तटस्थ और निष्पक्ष हो।

13. आवश्यक नियम

I. निर्वाचन साक्षरता क्लब का किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

II. निर्वाचन साक्षरता क्लब की किसी भी गतिविधि (प्रेरणा देने वालों को आमंत्राण, कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा, अन्य सांस्कृतिक गतिविधि) में किसी विचारधारा–विशेष या दल–विशेष से जुड़े लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए।

III. जहाँ तक भागीदारी का सम्बन्ध है, विद्यार्थी, चाहे वे किसी भी रानीतिक विचारधारा से जुड़े हों, निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं।

IV. यह कार्यकारिणी समिति का दायित्व है कि वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वार्षिक आख्या तैयार करे। वार्षिक आख्या में वर्ष भर में आयोजित की गई गतिविधियों (ऑनलाइन और ऑफलाइन), निभाए गए दायित्वों और निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा दर्शाए गए परिणामों का विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए। इसे नोडल ऑफीसर के माध्यम से सम्बन्धित डी.ई.ओ. को प्रस्तुत किया जा सकता है।

14. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश

निर्वाचन साक्षरता क्लब एक ऐसा समावेशी क्लब होगा, जो दिव्यांग विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करेगा।

- संयोजक इनके समावेश को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और क्लब के दूसरे सदस्यों को इसके लिए संवेदनशील बनाएँगे।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब की सभी गतिविधियाँ कॉलेज भवन की निचली मंजिल पर आयोजित होनी चाहिए, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को पहुँचने में आसानी हो।
- अगर कोई ऐसा विद्यार्थी बैठक में शामिल हो रहा हो, जो सुन नहीं पाता, तो उसकी सुविधा के लिए इशारों की भाषा समझने वाले दुभाषिये की सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। (यह दुभाषिया उस विद्यार्थी का कोई ऐसा साथी हो सकता है, जो पहले से ही उसके के लिए यह कार्य करता हो।)
- क्लब में की जाने वाली किसी भी गतिविधि में दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
- क्लब में दिव्यांग विद्यार्थियों की ठीक–ठाक संख्या होनी चाहिए।

15. निर्देशों सहित गतिविधियाँ

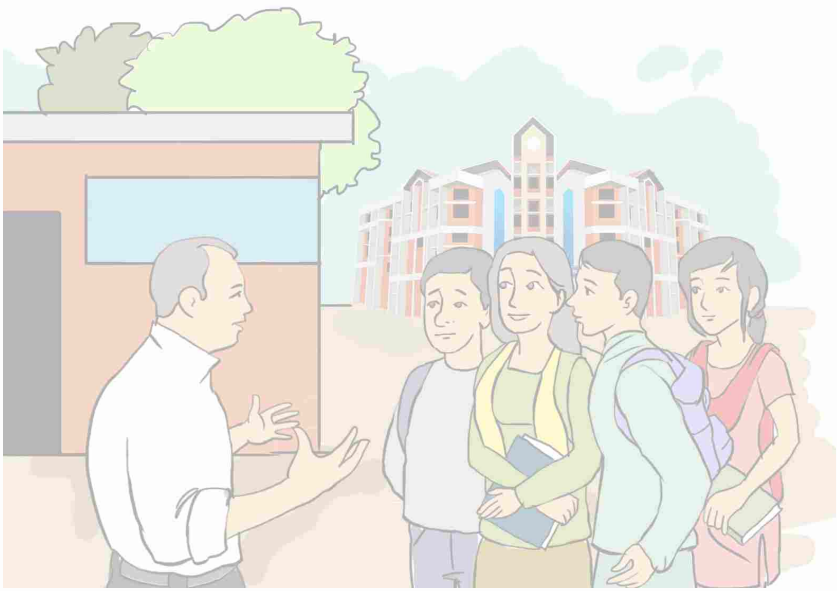

चुनाव पत्रिका के पीछे विचार यह है कि निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित सूचनाओं और संदेशों को मनोरंजक, कल्पनाशील और रोचक ढंग से बनाकर लोगों तक पहुँचाया जाए। साथ ही, इसे तैयार करने में सभी विद्यार्थियों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस काम के लिए कॉलेज के किसी मुख्य हिस्से की दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे **'निर्वाचन साक्षरता दीवार'** कहा जाएगा। दीवार पर निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित विभिन्न विषय–सामग्री प्रदर्शित की जाएँगी। यह सामग्री दीवार पर चिपकाई जा सकती है या पिन की मदद से लगाई जा सकती है या, अगर इजाजत मिले तो, रंगो से लिखी भी जा सकती है।

कॉलेज प्रशासन कॉलेज के गलियारे में किसी निर्दिष्ट स्थान पर एक दीवार या डिस्प्ले बोर्ड आवंटित करेगा। चुनाव पत्रिका का थीम/मुख्य विषय हर महीने बदला जाएगा।

विधि–

1. कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शन में निर्वाचन साक्षरता क्लब दीवार पत्रिका बनाएगा। चुनाव पत्रिका को बनाने के लिए सदस्यों का एक समूह मुख्य दल के रूप में काम कर सकता है।
2. चुनाव पत्रिका का थीम/मुख्य विषय हर महीने बदल जाएगा।
3. चुनाव पत्रिका के लिए हर सेमेस्टर के विद्यार्थियों से योगदान लिया जाएगा। यह योगदान वर्तमान विषय पर लेखों, निबन्धों, कविताओं, रेखाचित्रों, चित्रों, पत्रों, शब्द पहेलियों आदि के रूप में हो सकता है।
4. थीम/मुख्य विषय के अन्दर की विषय–वस्तु हर सप्ताह या हर पन्द्रह दिन में बदल जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थियों से रचनाओं के रूप में कितना योगदान मिलता है।
5. चुनाव पत्रिका में निर्वाचन साक्षरता क्लब की उस महीने में आयोजित होने वाली मुख्य गतिविधियों से सम्बन्धित घोषणाएँ भी प्रदर्शित की जाएँगी।
6. दीवार को चार मुख्य भागों में बाँटा जाएगा।

समय

भाग 1 इस भाग में चुनाव सम्बन्धी शब्दों के अर्थ और थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मूल बातें लिखी जाएँगी। इनके 2–3 पन्ने हो सकते हैं, पर महत्त्वपूर्ण विवरण/ सूचनाओं के अंश थीम/मुख्य विषय से ही सम्बन्धित होने चाहिए।	**भाग 2** इस भाग में वर्तमान थीम/मुख्य विषय पर विद्यार्थियों की रचनाओं/योगदान को स्थान दिया जाएगा। ये रचनाएँ चुनाव. प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होंगी। ये रचनाएँ विद्यार्थियों की स्वयं की होंगी और दृष्टांत रूप में प्रस्तुत की जाएँगी विकल्प के रूप में, इस भाग में थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित चुनाव की कहानियाँ भी दी जा सकती हैं, जो 'मतदान में विश्वास' से ली जा सकती हैं।
भाग 3 इस भाग में चुनाव पत्रिका पढ़ने वालों से थीम/मुख्य विषय से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर आमंत्रित किए जाएँगे, जैसे– 'क्या आप वोट देने के लिए पात्रा हैं ?' 'मतदाता कैसे बनें ?' आदि। विद्यार्थी अपने उत्तर लिख सकें, इसके लिए इसी भाग में जगह दी जाएगी।	**भाग 4** इस भाग में निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिवधियों के बारे में घोषणाएँ व विवरण दिए जाएँगे। इस भाग का एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाएगा, ताकि देखने वाले/पढ़ने वाले वहाँ अपने प्रश्न लिख सकें। जिला सम्पर्क केन्द्र का नम्बर इस तरह लिखा जाएगा कि उस पर खास तौर से सबका ध्यान जाए।

चुनाव पत्रिका हर महीने नए थीम/मुख्य विषय के साथ अद्यतन कर दी जाएगी। चुनाव पत्रिका में लिखी गई बातें हर रोज या हर सप्ताह बदली जा सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थियों से रचनाओं के रूप में कितना योगदान मिलता है।

चुनाव पत्रिका के लिए प्रस्तावित थीम/मुख्य विषय

नीचे चुनाव पत्रिका के लिए थीम/मुख्य विषयों की सूची दी गई है–

1. लोकतंत्र : लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
2. मेरा वोट मेरा अधिकार है/ वोट का मूल्य
3. समावेशी चुनाव : हर वोट का महत्त्व बराबर है
4. सोच–समझकर और नैतिकता के साथ मतदान
5. आदर्श आचार संहिता
6. वोट की गोपनीयता
7. ई.वी.एम. और वी.पी. पैट. के प्रयोग के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता
8. अपने उम्मीदवार को जानना
9. राष्ट्रीय मतदाता दिवस
10. चुनाव घोषणा पत्र
11. एक्जिट और ओपीनियन पोल
12. सोशल मीडिया और राजनीतिक अभियान
13. समावेशी चुनाव

गतिविधिः कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा

कॉफी हाउस चर्चा की पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा गतिविधि में कॉलेज कैण्टीन और कैफे में चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग के सत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। यह चर्चा निर्वाचन की पूरी प्रणाली में युवाओं के समावेश, उनके जुड़ाव और उनकी भागीदारी से जुड़े विष्यों पर हो सकती है और चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्य इस चर्चा को संयमित रख सकते हैं।

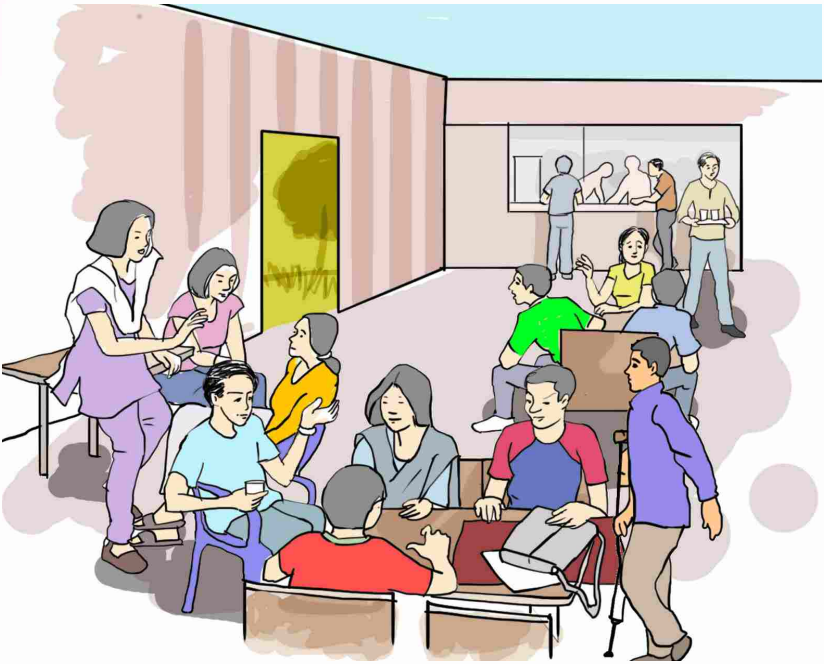

प्रतिभागी– कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा निर्वाचन साक्षरता क्लब के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक गतिविधि है। जो निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य नहीं हैं, वे भी कॉफी सत्रों में शामिल हो सकते हैं।

प्रक्रिया– दिन भर में किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के बाद सत्र सभी उपस्थित लोगों के लिए खुला होगा, ताकि वे सम्बन्धित विषय पर अपने विचार, राय और दृष्टिकोण रख सकें। यद्यपि इसका स्वरूप अनौपचारिक है,

पर प्रतिभागियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गतिविधि में पूरी तरह से शामिल हों और योगदान भी करें। निर्वाचन साक्षरता क्लब को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र को अंग्रेजी और उपयुक्त क्षेत्रीय भाषा में मिश्रित रूप से संचालित किया जाए। चूँकि यह पूरी तरह एक ही जगह पर की जाने वाली गतिविधि है, इसलिए निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या इसे सोशल मीडिया पर सजीव प्रसारित भी कर सकते हैं, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके।

अवधि– 2 घंटे

सम्भावित थीम (मुख्य विषय)– निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा के लिए स्वयं ही थीम/मुख्य विषय तय कर सकते हैं या नीचे दी गई सूची में से कोई विषय चुन सकते हैं–

- मतदाता शिक्षा : एक ऐसी जरूरत, जिसे कम आँका जाता है
- सरकार को मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए
- भारत कैसे मतदान करेगा?
- चुनावों में समावेश
- ऑनलाइन मतदान : आगे बढ़ने का रास्ता या सम्भावनायुक्त भानुमती का पिटारा
- क्या गम्भीर आरोपों में अभियुक्त उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए?
- ओपीनियन और एक्जिट पोल को प्रतिबन्धित और विनियमित कर देना चाहिए।
- ई.वी.एम./वी.वी.पैट. के बारे में जागरूकता
- यह जानना कि आप क्या नहीं चाहते : नोटा (NOTA)

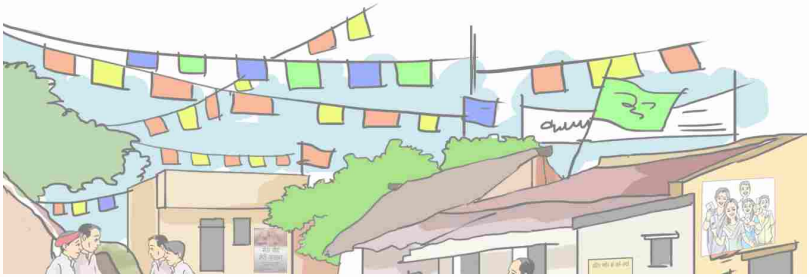

गतिविधि : युवा मतदाता महोत्सव

यह 1–2 दिन का उत्सव होगा, जो चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्यों द्वारा विषम संख्या वाले सेमेस्टर में आयोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों की अगर इच्छा हो तो वे इस गतिविधि में भाहर के सभी कॉलेजों को शामिल कर लें या केवल अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ही महोत्सव आयोजित करें। यह महोत्सव सभी कॉलेजों के सदस्यों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साथ लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस गतिविधि में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

चित्रकला प्रतियोगिता– इसमें भित्ति चित्र, पोस्टर, काष्ठकला, लिथोग्राफी आदि शामिल किए जा सकते हैं। कॉलेज/विश्वविद्यालय के चुनावी

साक्षरता क्लब सिर्फ अपने कॉलेज में भी यह प्रतियोगिता कर सकते हैं, अथवा अन्य कॉलेजों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। अन्य कॉलेजों को जोड़ने से चुनावों, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान, लोकतंत्र और राजनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर मिल–जुलकर जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है। साथ ही, युवाओं को इन मुद्दों पर संवेदनशील बनाया जा सकता है।

मूक अभिनय/नुक्कड़ नाटक/रोड शो– वह कार्यक्रम कॉलेज की नाट्य समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। इसका प्रदर्शन

खास–खास युवा उत्सवों, जैसे– मूड इण्डिगो, अन्तराग्नि, ओएसिस, मल्हार, रेण्डेवू आदि, में किया जा सकता है।

फोटोग्राफी प्रतियोगिता, फिल्म प्रदर्शन और लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता– इस कार्यक्रम को कॉलेज/विश्वविद्यालय की फोटोग्राफी समिति या फिल्म समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। फिल्में, डॉक्यूमेंटरी और स्थिर चित्र बहुत कारगर तरीके से संदेश देने के साधन हैं। इनसे सम्बन्धित विषयों, जैसे– निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव, लोकतंत्र, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि, के बारे में दर्शकों तक प्रभावी तरीके से अपनी बात पहुँचाई जा सकती है तथा जागरूकता पैदा की जा सकती है। ये प्रेरणा देने और बदलाव लाने वाले साधनों के रूप में काम करते हैं। यदि इन का प्रयोग उचित और प्रभावी ढंग से किया जाए तो ये व्यवहार–परिवर्तन में मददगार हो सकते हैं।

निर्वाचन साक्षरता क्लब को लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए थीम/विषयों की घोषणा कॉलेज/विश्वविद्यालय के सामान्य विद्यार्थियों के साथ चर्चा करके पहले ही कर देनी चाहिए। इसी तरह, दिखाई जाने वाली फिल्मों की सूची कॉलेज/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुमोदन के आधार पर तैयार की जा

सकती है। फिल्म दिखाने के बाद निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा फॉलो अप, अध्ययन व विश्लेषण का सत्र आयोजित किया जा सकता है।

नृत्य / संगीत प्रतियोगिता—यह कार्यक्रम क्रमशः कॉलेज / विश्वविद्यालय की नृत्य और संगीत समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को नृत्य के माध्यम से विषयों पर अपनी सम्बन्धित बात कहने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, साथ ही, ऐसे गीतों की प्रतियोगिताएँ कराई जा सकती हैं, जो युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। इसमें विद्यार्थियों की संगीत मण्डलियाँ / बैण्ड हिस्सा ले सकते हैं।

इसके अलावा, निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इन गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, और इनके लिए शैक्षणिक वर्ष में किसी भी समय अलग से प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं।

रैप प्रस्तुति और कविता पाठ— यह कार्यक्रम कॉलेज / विश्वविद्यालय की साहित्यिक समिति या संगीत समिति के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। रैप प्रस्तुतियाँ और कविता पाठ युवाओं को जोड़ने के बहुत प्रचलित माध्यम हैं। रैप और कविता पाठ की प्रतियोगिताएँ अपने ही कॉलेज में करवाई जा सकती हैं या कई कॉलेजों को इसमें जोड़ा जा सकता है। प्रतिनिधित्व, बदलाव के वाहक युवा, लोकतंत्र, चुनाव, राजनीति, मताधिकार, व ऐसे ही अन्य सम्बन्धित विषयों को इन माध्यमों से बहुत अच्छी तरह से उजागर किया जा सकता है। निर्वाचन साक्षरता क्लब विद्यार्थी—समूहों को जोड़ने और उनसे संवाद सथापित करने के लिए समय—समय पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकता है। विजेता चुनने के लिए विशेष निर्णायकों को आमंत्रित किया जा सकता है अथवा वोटिंग का कोई तरीका भी बनाया जा सकता है।

चुनाव प्रश्नोतरी (क्विज)— निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा कॉलेज / विश्वविद्यालय की प्रश्नोत्तरी समिति के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए चुनाव और चुनाव—प्रक्रिया पर प्रश्नोत्तरी करवाई जा सकती है।

मतदाता शपथ— कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं के लिए सभा (असेम्बली) और उसमें मतदाता शपथ लेना एक अनिवार्य गतिविधि होगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इस शपथ ग्रहण का प्रचार.प्रसार सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं।

गतिविधिः विशेष अभियान

कॉलेज के सभी विद्यार्थी, जो भारतीय नागरिक हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वोट देने के लिए पात्र हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे सभी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों। निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों को यह दायित्व सौंपा जाएगा कि वे अपने साथियों को पंजीकृत होने के लिए प्रेरित करें। वे इसके लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाएँगे।

प्रक्रिया

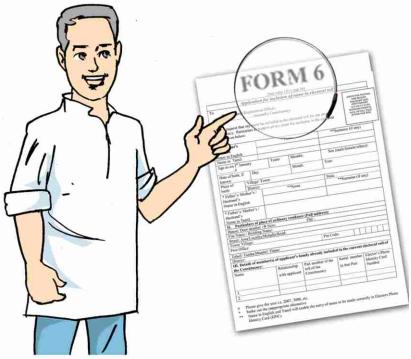

- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य विज्ञापन सामग्री तैयार करेंगे, जिसमें विशेष अभियान के प्रयोजन के बारे में बताया गया हो।
- वे इस विषय पर एक सत्र आयोजित करेंगे कि अपना पंजीकरण कैसे कराएँ (फॉर्म 6 भरकर), साथ ही, वे उन अभिलेखों की भी चर्चा करेंगे, जो पंजीकरण के लिए जरूरी होते हैं।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य अपने चुनाव–क्षेत्र के बी.एल.ओ. से सम्पर्क करके उन्हें कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ एक विशेष सत्र के लिए आमंत्रित करेंगे।
- नियत दिन पर एक बूथ बनाएँगे, फार्म 6 बाँटेंगे, और विद्यार्थियों को फॉर्म भरकर उसे बी.एल.ओ. के पास जमा करने का मौका देंगे।
- दूसरे शहरों और राज्यों के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voter's Service Portal) www.nvsp.in के बारे में जानकारी दी जाएगी, और उन्हें कहा जाएगा कि वे अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवाएँ।

अवधि– आधा दिन

समय– यह गतिविधि उस दौरान आयोजित की जाएगी, जब सम्बन्धित राज्य की सूचियाँ संशोधित की जा रही हों।

गतिविधि : वाद–विवाद / भाषण प्रतियोगिता

युवाओं के बीच पैठ बनाने के लिए वाद–विवाद और चर्चाएँ बहुत अच्छे साधन हैं। निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों को कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा के माध्यम से पहले ही निर्वाचन–प्रक्रिया और मतदाता जागरूकता से सम्बन्धित विषयों पर काफी जानकारी मिल चुकी होगी। अब वे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अन्तर्विद्यालयी वाद–विवाद / भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं।

प्रक्रिया

- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य प्रबन्ध–मण्डल के साथ मिलकर प्रतियोगिता का प्रारूप तय करेंगे। यह एक संसदीय वाद–विवाद या सामान्य वाद–विवाद हो सकता है, या फिर एक पैनल चर्चा या भाषण प्रतियोगिता।
- इसके लिए चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध–मण्डल की स्वीकृति से विशय तय किए जाएँगे। विषय तय करने के लिए कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा गतिविधि में दिए गए विषयों की सूची का सहारा लिया जा सकता हैं।
- शहर के सभी कॉलेजों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का उपयुक्त प्रचार–प्रसार किया जाएगा।
- दो घंटे का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो निर्णायकों द्वारा दिए गए निर्णय के उपरान्त पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरण के साथ सम्पन्न होगा।

समय – सम संख्या वाले किसी भी सेमेस्टर के दौरान।

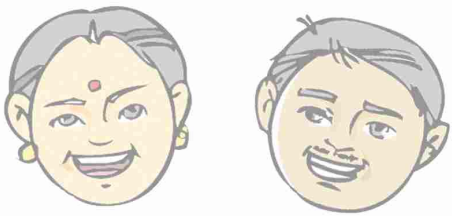

गतिविधि : राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह

राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह इस दृष्टि से सार्थक है कि इसका उद्देश्य युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस दिवस के बारे में जानें और इसके महत्त्व को उजागर करें। अतः चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्य अपने ही कॉलेज में एक विशेश सभा (असेम्बली)/कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।

- विद्यार्थी पोस्टरों और दूसरे चित्रों से आयोजन–स्थल को सजाएँगे। ये पोस्टर व चित्र ऐसे होंगे, जिनमें मतदान का महत्त्व दर्शाया गया हो।
- जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके कार्यालय के किसी प्रतिनिधि को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा सकता है।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इस कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम करेंगे। वे विषय से सम्बन्धित किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की योजना बनाएँगे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा मंचीय नाटक, समूह गान/बैण्ड प्रस्तुति, नृत्य, भाषण/व्याख्यान आदि प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- इस विशेष कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बैज, टी शर्ट, बुकमार्क आदि भी बाँटे जा सकते हैं।
- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों व अन्य विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचन साक्षरता के लिए किए गए कार्यों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मानित किया जाना चाहिए।
- मतदाता महोत्सव के प्रतिभागियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है और उन्हें उनके पुरस्कार इसी कार्यक्रम में प्रदान किए जा सकते हैं।

गतिविधि : प्रेरक संवाद

यह परस्पर संवाद का एक अनौपचारिक सत्र होगा, जिसमें किसी राजनीतिक दल विशेष से सम्बन्ध न रखने वाले तटस्थ व्यक्तियों और युवाओं के किसी आदर्श व्यक्तित्व को आमंत्रित किया जाएगा। इन प्रेरक व्यक्तित्वों को आमंत्रित करने वाले समागम में सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक सरोकारों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य व्यक्ति शामिल होंगे। ये युवा व लोकतंत्र, चुनाव, वयस्क मताधिकार, राजनीति विश्व की समकालीन राजनीति जैसे मुद्दों पर प्रेरणादायक चर्चा करेंगे। युवाओं द्वारा इंगित किए गए मुद्दों और विषयों पर चर्चा से शुरू करते हुए इस कार्यक्रम को दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है– पहला, आमंत्रित वक्ता का उद्बोधन, और दूसरा, उपस्थित श्रोताओं के साथ परस्पर संवादात्मक प्रश्न–उत्तर का सत्र चुनावी साक्षरता क्लब के सदस्य इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने या सोशल मीडिया पर सजीव प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रक्रिया

प्रेरणा देने वाले लोगों को आमंत्रित करने वाली गतिविधि एक अलग गतिविधि के रूप में भी आयोजित की जा सकती है या इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह या मतदाता महोत्सव के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

अवधि – 2 घंटे

नियमित गतिविधि : कॉलेज पत्रिका में फीचर

निर्वाचन साक्षरता क्लब कॉलेज पत्रिका (वार्षिक / मासिक / त्रैमासिक) के सम्पादक मण्डल के मुखिया से मिलकर पत्रिका के लिए विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई फीचर वृत्तान्त आदि प्रकाशन के लिए दे सकते हैं। ये इस विषय पर हो सकते हैं कि उन्होंने निर्वाचन व लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था क्यों व्यक्त की।

हर क्षेत्र के कॉलेजों के सर्वश्रेष्ठ फीचर को संग्रहीत करके युवाओं और भावी मतदाताओं के लिए 'मतदान में विश्वास' की सीरीज प्रकाशित की जा सकती है।

नियमित गतिविधि : सोशल मीडिया पर आधारित गतिविधियाँ

कॉलेज के चुनावी साक्षरता क्लब से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका अपना सोशल मीडिया हैण्डल (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई अन्य) होगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब इस पेज पर नियमित रूप से गतिविधियाँ/प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगा, और इसी के माध्यम से युवाओं को मतदाता जागरूकता का संदेश भी देगा। संकेत के रूप में कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

- प्रतीक चिह्न (लोगो) डिजाइन करना
- टैगलाइन लिखना
- पोस्टर बनाना
- जी.आई.एफ. बनाना
- ब्लॉग लिखना
- मतदान की पूरी गतिविधि को प्रस्तुत करना– निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य अपने नजदीकी मतदान केन्द्र (यदि उनके चुनाव क्षेत्र में कोई चुनाव हो रहा हो) पर होने वाली कार्यवाही की एक छोटी वीडियो रिपोर्ट बनाएँगे और उसे अपने सोशल मीडिया हैण्डल पर पोस्ट करेंगे।

16. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम

क्र.	गतिविधि	अनन्तिम समय
	विषम संख्या वाले सेमेस्टर	
1	निर्वाचन साक्षरता क्लब की नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव	जुलाई
2	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	
3	नवागन्तुकों का वाद–विवाद	
4	रैप प्रस्तुति	अगस्त
5	कविता पाठ	
6	मूक अभिनय	
7	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	सितम्बरत
8	प्रेरक संवाद	
9	फोटोग्राफी प्रतियोगिता	
10	चित्रकला प्रतियोगिता	अक्टूबर
11	प्रेरक संवाद	
12	राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए तैयारी	नवम्बर
13	लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता की घोषणा	
14	चुनाव पत्रिका और कॉलेज पत्रिका के लिए फीचर	नियमित गतिविधि
	सम संख्या वाले सेमेस्टर	
15	राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन	जनवरी
16	प्रेरक संवाद	
17	फिल्म दिखाना	फरवरी
18	सी.ई.ओ. का आगमन	मार्च
19	कॉफी की मेज पर मतदान की चर्चा	अप्रैल
20	18 उम्र वालों के लिए पंजीकरण अभियान	मई
21	चुनाव पत्रिका और कॉलेज पत्रिका के लिए फीचर	नियमित गतिविधि

17. संसाधन

1. बिलीफ इन द बैलट (मतदान में विश्वास)
2. सेंटीनल्स ऑफ डेमोक्रेसी (लोकतंत्र के प्रहरी)
3. प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और शब्दार्थ
4. पीठासीन अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका

   http://eci.nic.in/ eci_main/ ElectoralLaws/ HandBooks/ RO%20HANDBOOK_24022014.pdf
5. www.nvsp.in

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep